प्रशिक्षण प्रणाली की पुनर्संरचना संबंधी कार्यसूची पर किए गए प्रस्तावों पर सबसे पहले राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए और बाद में उसे स्थायी श्रम समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

पर्यावरण और श्रम सुरक्षा

23. पर्यावरण सुरक्षा संबंधी उपाय श्रम से संबंधित विषयों को विविध रूपों में प्रभावित करते हैं। अतः उन सरकारी निकायों जो पर्यावरणीय मानकों को स्थापित करने और उन्हें विनियमित करने के कार्य में नियुक्त है, में कर्मकारों के संगठनों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।

बाल श्रम

24. बाल श्रम का उन्मूलन करने वाली योजनाओं का कार्यान्वयन करने के कार्य में व्यवसाय संघों को बढ़ चढ़ कर अंतर्ग्रस्त किया जाना चाहिए; कार्यान्वित की जा रही बाल श्रम उन्मूलन योजनाओं की त्रिपक्षीय समीक्षा भी की जानी चाहिए, बाल श्रम सलाहकार बोर्ड की बैठकें और नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए, रोजगार से निकाले गए बालकों के अभिभावकों के लिए विशेष प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जानी चाहिए और राज्य सरकारों को ये शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए कि वे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गैर-जोखिम-कारी व्यवसायों (जो अनुसूचित जोखिमकारी व्यवसाय और प्रक्रियाएं नहीं हैं) में भी बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध कर दें।

विधान-निर्माण

25. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ञ) को अधिसूचित किए जाने से संबंधित मुद्दा, जिस पर नियोजक और कर्मकार सहमत नहीं हैं (नियोजक इस उपबंध को अधिसूचित किए जाने के पक्ष में हैं और कर्मकार ऐसा नहीं चाहते, और कुछ राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि वैकल्पिक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने के बाद इसे अधिसूचित किया जाए), को स्थायी श्रम समिति के समक्ष विस्तृत विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत किया जाए।

26. नियोजक कर्मचारियों की सहभागिता विधेयक का विरोध कर रहे हैं और उनकी राय है कि द्विपक्षीय सहभागी तंत्र की व्यवस्था की जाए, कर्मकार विधिक ढांचे की मांग कर रहे हैं, विधेयक और उसमें विभिन्न वर्गों द्वारा प्रस्तावित किए गए संशोधनों और संसदीय समिति की रिपोर्ट पर समीक्षा समिति में विचार-विमर्श करने के पश्चात् स्थायी श्रम समिति में आगे विचार किया जाएगा।

27. कृषीय कर्मकारों को सुरक्षा दिए जाने से संबंधित कानून के अधिनियमन से संबंधित प्रस्ताव को त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के लिए स्थायी श्रम समिति में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Schemes for the Welfare of Child Labourers in Hazardous Industries

1301. SHRI MOOLCHAND MEENA:
SHRI SANJAY DALMIA:
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the States where National Authority on Child Labour has adopted a multipurpose scheme for the welfare of the child labourers working in hazardous industries;

(b) the details thereof; and

(c) the steps being taken by Government in accordance with these suggestions?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) The National Authority for Elimination of Child Labour (NAECL) has adopted a circular on "Identification, release and rehabilitation of child labour". This circular covers the range of action required to be taken to tackle the problem of child labour in hazardous occupations. It calls for convergence of services and schemes of the Central and State Govt. at the implementing level for child labour elimination efforts to be successful. This circular has already been forwarded to all the State Govts. by Hon'ble Prime Minister and Union Labour Minister.

The NAECL also recommended that efforts to eliminate child labour in hazardous occupations should be started in the most child labour endemic districts in the country. Accordingly, a Workshop for Collectors from the most child labour

endemic districts in the country was held on 13th and 14th September, 1995. The purpose of this workshop was to finalise the modalities for implementing the child labour projects at the district level and getting necessary feedback from the field level agencies for shaping the future child labour elimination programme in the country. The workshop resulted in the sanctioning of 63 National Child Labour Projects benefitting a total of 1.20 lakh children. This is in addition to 12 ongoing National Child Labour Projects. In all around 1,36,000 children in the States of Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, and West Bengal are covered under these projects.

उपभोक्ता मंचों को कार्य-कुशल तथा कारगर बनाने हेतु कदम

1302. **प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री 27 नवम्बर, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 56 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि उपभोक्ता संरक्षण मंचों को और अधिक कार्य-कुशल तथा कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग) (श्री विनोद शर्मा): उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों में दी गई प्रक्रिया, उपभोक्ता शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, प्रतितोष अभिकरण को अधिक कार्य-कुशल बनाने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित किए गए उपभोक्ता न्यायालयों के आधार-ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुहैया कराने हेतु 61 करोड़ रुपए की एक बाकी वित्तीय सहायता की स्कीम अनुमोदित की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहली किश्त के रूप में 15.45 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।

Leather Exports

1303. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether leather export has shown tremendous increase;

(b) if so, the value of exports during the last two years and so far during the current year;

(c) whether Government are taking any measures for technology upgradation and training of manpower to further boost leather exports; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) Yes, Sir. Exports of leather and leather products have increased as shown in the following table:

(US $ Million)

Year	Exports
1993-94	1299.35
1994-95	1558.60
1995-96	723.32

(Upto Aug. '95)
(SOURCE : DGCIS&S)

(c) and (d) Yes, Sir. Government is taking various measures for technology upgradation and training of manpower to boost leather exports. These include:

(i) A National Leather Development Programme in association with UNDP was launched in 1992 for modernisation, upgradation of technology and augmentation of the existing facilities for training of manpower.

(ii) Footwear Design & Development Institute has been set up at NOIDA with a view to augment availability of trained manpower at different levels.

(iii) "Leather Technology Mission for sustainable development" has been launched to organise technology driven development grid for the Indian leather industry with a grass root approach, extending from caracass recovery and augmentation of raw material base to technology upgradation of tanneries etc.